

उत्तराखण्ड शासन  
आपदा प्रबन्धन अनुभाग  
संख्या-1148(F/XIII(2)-आ0प्र0-03(7)/13(World Bank/ADB)/2013  
देहरादून: दिनांक 24 अक्टूबर, 2013

प्रमुख सचिव/सचिव  
नागरिक उड्डयन विभाग, पेयजल विभाग, लोक निर्माण विभाग,  
पर्यटन विभाग, विज्ञान एवं टेक्नोलोजी विभाग, आपदा प्रबन्धन विभाग एवं राजस्व विभाग  
उत्तराखण्ड शासन।

**विषय: विभागीय ईम्पावर्ड कमेटी के गठन सम्बन्धी।**

महोदय/महोदया,


आपदा प्रबन्धन विभाग में संरचित उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अन्तर्गत विश्व बैंक सहायित उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट एवं ए0डी0बी0 सहायित उत्तराखण्ड ईमरजेन्सी असीस्टेन्स प्रोजेक्ट आरम्भ किये जा रहे हैं। परियोजनाओं के सुचारु प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन किये जाने हेतु पी0एम0यू0 व पी0आई0यू0 का गठन शासन द्वारा किया जा चुका है। परियोजनाओं के अन्तर्गत आपके विभाग से सम्बन्धित विभिन्न कम्पोनेन्ट भी प्रस्तावित हैं। उक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित पी0आई0यू0 द्वारा प्रस्तावित कार्यों के प्रस्ताव विभागीय स्तर पर गठित ईम्पावर्ड कमेटी की सहमति के उपरान्त पी0एम0यू0 को प्रस्तुत की जायेगी तथा पी0एम0यू0 द्वारा यह प्रस्ताव उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की उच्च स्तरीय अनुमोदन समिति को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे। विभागीय ईम्पावर्ड कमेटी विभागीय स्तर पर कार्यों का अनुश्रवण भी करेगी।

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की उच्च स्तरीय अनुमोदन समिति को स्वीकृति के उपरान्त सम्बन्धित पी0आई0यू0 स्वीकृत कार्यों को विश्व बैंक अथवा ए0डी0बी0 जिसके अन्तर्गत वह कम्पोनेन्ट है, की गार्डलाइन अनुसार क्रियान्वित किया जायेगा।

विभागीय स्तर पर ईम्पावर्ड कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

- |   |            |
|---|------------|
| 1. विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव                   | अध्यक्ष    |
| 2. विभागीय अपर सचिव                           | सदस्य      |
| 3. सम्बन्धित पी0आई0यू0 के प्रोग्राम प्रबन्धक  | सदस्य सचिव |
| 4. विभाग से सम्बन्धित वित्त विभाग के अपर सचिव | सदस्य      |
| 5. सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष            | सदस्य      |


कृपया आपदा पुर्नवास एवं पुनर्निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को प्राथमिकता पर निष्पादन अपेक्षित है।

  
(भास्करानन्द)  
सचिव।

संख्या-1148(F/XIII(2)-आ0प्र0-03(7)/13(World Bank/ADB)/2013. तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड।
6. कार्यक्रम निदेशक, यू0आर0डी0पी0 (विश्व बैंक)/यू0ई0ए0पी0 एडीबी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे आपदा प्रबन्धन विभाग की वेबसाइट में सम्मिलित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
  
(सतोष/बड़ोनी)  
अनु सचिव